

४
३
२५

पत्रावली राज राष्ट्रीय लोक अदालत
में पेश हुई। वहील वादी उप.
तहसीलदार, मोंगरोल से रिपोर्ट
आए। तहसीलदार मोंगरोल की
रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम
अशोक ब्राह्मण के स्थान पर आशा
कुमारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने
की अनुशंसा की है। अतः तहसीलदार
मोंगरोल की रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड
में परिवर्तन के आधार पर
ग्राम मऊ की जमाबंदी खाता संख्या
५५० में वादी का नाम अशोक
ब्राह्मण के स्थान पर अशोक कुमारी
राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु
तहसीलदार, मोंगरोल को आदेश
दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल
सुमार होकर नम्बर ले कम हो।
निर्णय आज दिनांक ४-३-२०२५
राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया
गया।